

कार्यालय

पत्रांक: ४९५। न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुमांग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिमित किया गया है-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
(3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटीयों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
(i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर दाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
(ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंकेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
(4) वाणिज्यिक/औदोगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
(ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
(5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
(i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।
ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी।
(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के ईर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभियान इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 24.09.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कठिपप्य दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 224 हॉस्ट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 58-मौ० राधानगर बुलन्दशहर, टैगोर गाली गली कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच० ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ० राजनगर चौंदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० देवीपुरा-१, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, कैंपोरोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टॉडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०मुशीपाडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०हरि एनकलेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० ईटा रोडी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०विजय नगर दर्वीपुरा-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शान्ती निकेतन नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० कोठियात पुलिस लाईन के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्राम चॉपपुर नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० इन्दिरा नगर भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० न्यू राजनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला विहार प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सूर्यनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गॉदी आश्रम, रेलवे रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०शीतल गंज नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मोहन नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०ब्रह्मपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० नजीमपुरा भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० आर०केपुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिक्षिका बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०किंदर नगर भूड़ नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, हनुमान मन्दिर वाली गली, आनन्द विहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मध्य गंगा नहर कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रेमनगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०हाईडिल कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मानसरोवर कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०किंदर नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०पटेल नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०सरस्वती बिहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०बाबूपुरा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, विक्रम एक्वायर कॉलोनी निकट एल०आई०सी ऑफिस, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०हरीश्वन्द नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मधूर विहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० काजीवाडा ऊपरकोट, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अम्बा कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, बीसा कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०कौलाशपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०कोठियात डी०एम०कालोनी के पीछे नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 166 हॉस्पिट-एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील खुशहालगढ़ रोड नेहरूगंज, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ० मुफ्तीबाडा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० चौक द्वितीय कस्बा बी०बी०नगर तहसील स्थाना, ग्राम एत्तादसराय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 24.09.2020

आज दिनांक 24.09.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-3434 है, 2317 व्यक्ति होम क्वारेनटाइन में है। जनपद में 58 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्षमन न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्षमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-सितम्बर 24, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(R) 24/9/20

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर